29.5.24	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 LR Act प्रार्थी द्वारा पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम बड़ापुरा प० ह० भावली तहसील मासलपुर के आ. ख. नं. 1972 प्रार्थी की खातेदारी काबिले काश्त की भूमि है। जिसका नक्शा शीट में खाली जगह रह गई है। परन्तु उसमें खसरा नंबर अंकित नहीं है। तथा ऑनलाइन वर्तमान नक्शा शीट में ख. नं. 1972 की तरमीम ख. नं. 1956 व 1980 के मध्य कर दी गई है जो गलत है। इसे दुरुस्त किया जावे।

(हस्ताक्षर)

ओमप्रकाश वि. TDR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर उभय-पक्षकारान को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 01 तहसीलदार करौली ने अपना जवाब पेशकर निवेदन किया कि ख.न. 1971 व 1992 के मध्य एक बन्द आकृति बनी हुई है जिसमे ख.न. अंकित नही है। मौमियाशीट एवं सेटलमेंट लट्ठा शीट में ख.न. 1972 अंकित नही है। ऑनलाईन नक्शाशीट मे वर्तमान मे जहा ख.न. 1972 दर्ज है वहा ख.न. 1950 के खातेदार का कब्जा काश्त है। ऑनलाइन नक्शे व मौमिया शीट में खसरा नं. 1971 व 1992 के मध्य एक बंद आकृति बनी हुई है जिस पर आवेदक खातेदार का कब्जा है एवम् लगातार खेती करते आ रहे है।	
	प्रार्थना-पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन करने के पश्चात, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो अनुसार व TDR मासलपुर की स्पष्ट अभिशंषा पश्चात प्रार्थना-पत्र को निर्णित किया जाना न्यायोचित समझते है।	
	अतः उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत	
	(हस्ताक्षर)	

ओमप्रकाश VS TDR

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	धारा - 136 LR Act मामहित मैं प्रार्थी के पक्ष मैं स्वीकार किया जाता है। TDR मासलपुर को निर्देशित किया जाता है कि वो प्रार्थी के खसरा नम्बर 1972 की तरमीम TDR मासलपुर के पत्रांक LR/2026/1980 दिनांक 13.3.2026 के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मैं करे। उक्त नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया।
	(हस्ताक्षर) 29.5.2026